सत्यमेव जयते

निर्वाचन आवश्यक/ई0मेल

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या 3120 /रा0नि0आ0–2/4425/2024 दिनांक 10 नवम्बर, 2025

::प्रेस–नोट::

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन–2025 के उपरान्त विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए **सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के** पदों/स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा **दिनांक 11.11.2025 को अधिसूचना** जारी की जायेगी।

सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के नाम–निर्देशन–पत्रों की बिक्री सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत के प्रत्याशियों के नाम–निर्देशन–पत्रों की बिक्री जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) द्वारा सूचना जारी करने के **दिनांक 11.11.2025 से दिनांक 13.11.2025 तक कार्यालय समय में तथा दिनांक 14.11.2025 को अपराह्न 03.00 बजे तक** संबंधित निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा की जायेगी।

नाम निर्देशन–पत्र निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के पद/स्थानों हेतु दिनांक 13.11.2025 व 14.11.2025 को अपराह्न 05.00 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। मतदान दिनांक 20.11.2025 को पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक किया जायेगा।

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

संख्या– 3120 /रा0नि0आ0–2/4425/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को दिनांक 11.11.2025 के संस्करण में समाचार के रूप में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।